

डिक्री व मुकदमे इत्दादाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code Appendix D)

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रक्षा पारिक, R.A.S.

प्रकरण संख्या:- 2023/436 राजस्व वाद

अनवान

1. भैरुसिंह पिता भंवरसिंह जाति शिशोदिया(राजपुत), उम्र 60 वर्ष, निवासी डाबुन, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।

.....वादी

बनाम

1. किशनसिंह पिता उदयसिंह जाति शिशोदिया(राजपुत), उम्र वयस्क, निवासी डाबुन, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
2. प्रतापसिंह पिता उदयसिंह जाति शिशोदिया(राजपुत), उम्र वयस्क, निवासी डाबुन, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
3. माधुसिंह पिता गोवर्धनसिंह जाति शिशोदिया(राजपुत), उम्र वयस्क, निवासी डाबुन, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
4. भोपालसिंह पिता हमेरसिंह जाति शिशोदिया(राजपुत), उम्र वयस्क, निवासी डाबुन, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
5. किशनसिंह पिता हमेरसिंह जाति शिशोदिया(राजपुत), उम्र वयस्क, निवासी डाबुन, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।

..... प्रतिवादीगण



वाद-कब्जेयाबी व स्थाई निषेधाज्ञा

अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता वादीगण।

अधिवक्ता श्री प्रदीप पुरोहित, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी वादीगण मय अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी एड. मिनजानिब मुदई व श्री प्रदीप पुरोहित मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का प्रतिप वाद वाद अंतर्गत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत राजीनामों के आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व ग्राम डाबुन, पटवार हल्का सगरुण, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद के आराजी संख्या 54 कुल किता 1 कुल किता 10 बिस्वा में 18 फीट चोडा तथा 50 फीट लंबा, उक्त रास्ता आगे 50 फिट से आगे, प्रथम पक्षकारागण कि कृषि भूमियों में होते हुए, जो करीब 600 फिट लंबाई में रास्ता है, जिसमें प्रथम पक्षकारागण को भी रास्ते के संबंध में कोई आपत्ति नहीं रहेगी तथा दोनों पक्षकारागण इस रास्ते को उपयोग उपभोग करने के लिये स्वतन्त्र रहेंगे। उभयपक्ष उक्त रास्ते में रूकावट पैदा नहीं करेंगे, इस हेतु उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है।

नीज..... मुबलिज बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर

..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

सहायक कलक्टर, नाथद्वारा

सहायक कलक्टर के दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.05.2025 को खुले न्यायालय में जारी की गई।



(Signature)

(रक्षा पारिक, RAS)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा

मुदई स्टाम्प अर्जीनामा	रूपया पैसा	मुदयलह	रूपया पैसा
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वजह सबूत		स्टाम्प हाजरी	
मेहनताना वकील		मेहनताना वकील पर	
खर्चा गवाहान्		खर्चा गवाहान्	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बबत् इजराय हुक्मनामा		बबत् इजराय हुक्मनामा	
मुतफरिक		मुतफरिक	
मिलान		मिलान	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करने चाहिए।



(Signature)

(रक्षा पारिक, RAS)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा